

विभाग के सरकारी वेबसाइट/सरकारी ई-मेल द्वारा

संख्या- ए. 20011/14/2010- हिन्दी

भारत सरकार, गृह मंत्रालय

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार

खंड-9, कैं.स. का. परिसर

लोधी रोड, नई दिल्ली -3

दिनांक: 09 मार्च, 2022

सेवा में,

सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के संयुक्त सहायक निदेशक/स्टेशन अधीक्षक
(विभाग की वेबसाइट के माध्यम से)।

विषय: राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित वर्ष 2021-22 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित करने के संबंध में

कृपया उपर्युक्त विषय पर आपके कार्यालय की वर्ष 2021-22 (01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक) की राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट से संबंधी सूचनाएं संलग्न निर्धारित प्रपत्र में भरकर निदेशालय को 15 अप्रैल 2022 तक भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि इसे समेकित कर गृह मंत्रालय को भेजा जा सके।

2. यह भी सुनिश्चित करें कि प्रपत्र के प्रत्येक कॉलम में दी गई सूचना पूर्ण रूप से सही एवं प्रामाणिक हो और वह सूचना केन्द्रों की हिंदी की चारों तिमाही रिपोर्टों (जून 2021 तिमाही, सितम्बर 2021 तिमाही, दिसम्बर 2021 तिमाही और मार्च 2022 तिमाही) में दी गई सूचना से मेल खाती हो।

संलग्न : यथोपरि (प्रपत्र)


(डॉ. राजीव कुमार सिंह)

सहायक निदेशक (राजभाषा)

टेलीफोन- 011-24361588

ई-मेल: rajivkumar.79@dcpw.gov.in

प्रतिलिपि.

सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)- कृपया विभाग की सरकारी वेबसाइट के परिपत्र भाग में अपलोड करने हेतु।

राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट का संशोधित प्रोफॉर्मा

मंत्रालय/विभाग का नाम : गृह मंत्रालय, भारत सरकार, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार

वर्ष : 2021-22

अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र का नाम :

क्षेत्र (क, ख, ग) :

1. राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अधीन जारी किए गए कागजात (चारों तिमाही रिपोर्ट के अनुसार)

(क)	जारी कागजात की कुल संख्या	:	
(ख)	इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किए गए कागजात	:	

2. हिंदी में पत्राचार (राजभाषा नियम-5) (चारों तिमाही रिपोर्ट के अनुसार)

(क)	हिंदी में प्राप्त कुल पत्र	:	
(ख)	कितनों का उत्तर हिंदी में दिया गया	:	
(ग)	कितनों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया	:	
(यह सूचना कार्यालय पद्धति मैनुअल अध्याय-4 पैरा-12(1) द्वारा निर्धारित डायरी रजिस्टर से दी जाए।)			

3. मूल पत्राचार- पत्रादि (चारों तिमाही रिपोर्ट के अनुसार)

(क)	हिंदी में भेजे गए पत्र	:	
(ख)	अंग्रेजी में भेजे गए पत्र	:	
(ग)	द्विभाषी रूप में भेजे गए पत्र	:	

4. फाइलों पर हिंदी में कार्य(चारों तिमाही रिपोर्ट के अनुसार)

(क)	वर्ष के दौरान लिखी गयी टिप्पणियों की कुल संख्या	:	
(ख)	हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या	:	
(ग)	अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या	:	

5. अधिकारियों/कर्मचारियों की राजभाषा हिंदी के ज्ञान की स्थिति (31 मार्च 2022 की स्थिति)

(क)	अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या	:	
(ख)	उपर्युक्त (क) में से हिंदी का कार्यसाधक एवं उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	:	
(ग)	उपर्युक्त (ख) में प्रवीणता प्राप्त प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	:	
(घ)	उपर्युक्त (क) में से कितने अधिकारी/कर्मचारी हिंदी का प्रशिक्षण पा रहे हैं।	:	
(ङ)	हिंदी में प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	:	

6. रबड़ की मुहरों की स्थिति :

(क) कुल रबड़ की मुहरों की संख्या :

(ख) इनमें से कितने केवल अंग्रेजी में हैं :

(ग) इनमें से कितने द्विभाषी हैं :

7. कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें-

वर्ष के दौरान कितनी बैठकें आयोजित की गई :

8. कम्प्यूटर/लैपटॉप आदि से संबंधित विवरण तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण की स्थिति

(क)	कम्प्यूटर/लैपटॉप की कुल संख्या	:	
(ख)	हिंदी में काम करने की सुविधायुक्त कितने हैं	:	
(ग)	यूनीकोड समर्थित कम्प्यूटर/लैपटॉप की संख्या	:	
(घ)	केवल अंग्रेजी में काम करने की सुविधायुक्त	:	
(ङ)	कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	:	
(च)	कम्प्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	:	

9. राजभाषा कोड/मैनुअल की उपलब्धता (सांविधिक/कार्यालयीन/ तकनीकी साहित्य)

क्र.सं.	श्रेणी	कुल संख्या	द्विभाषी	केवल अंग्रेजी में	केवल हिंदी में	द्विभाषी अथवा हिंदी में न होने का कारण
1	अधिनियम/नियम					-
2	कार्यालयीन कोड/ मैनुअल					-
3	मानक फॉर्म					-
4	तकनीकी साहित्य					-
5	प्रशिक्षण साहित्य/ सामग्री					-
6	अन्य प्रकाशन					-
	कुल योग					

10. वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य विशिष्ट उपलब्धियों/ कार्यों का संक्षिप्त विवरण :

केन्द्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

अध्यक्ष का नाम :

पदनाम :

एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर :

फैक्स नम्बर:

ई-मेल का पता :

विशेष टिप्पणी: यह रिपोर्ट राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष से हस्ताक्षरित न होने की दशा में लौटा दी जाएगी। कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए।